संख्या-33 /2017 /पी-583/अड़तीस-9-2017-03 (बजट) /2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-17 अगस्त, 2017**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु पुनरीक्षित वेतन का अवेशष मद में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1616/एफ-31(7)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2017-18, दिनांक-08.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 10,40,000.00 (रूपये दस लाख चालीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे.आ.-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक-22.12.2016 के प्रस्तर-10 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के नामें डाला जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2017/ पी-583(1)/अड्तीस-9-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
8- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।